अध्याय 8

भारत का विदेशी व्यापार

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति।
- भारत के विदेशी व्यापार की संरचनाः निर्यात व आयात की संरचना।
- विश्व व्यापार संगठन।
- अंकटाड।
- अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष।
- विश्व बैंक।
- विदेशी व्यापार नीति, 2015-20।
- फेरा व फेमा में अंतर।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) व फॉरन इस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट (FII) का अर्थ व दोनों के मध्य अंतर ।
- विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थायें एक दृष्टि में।

परिचय (Introduction)

अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारत के व्यापार की स्थिति श्रेष्ठ थी। भारतीय वस्तुएं जैसे—रेशम, मखमल, मसाले, नक्काशीदार कीमती वस्तुएं, हीरे जवाहरात के आभूषणों की विश्व बाजार में मांग थी। परन्तु अंग्रेज़ो के आगमन के बाद भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश (Colony) बन गया। अर्थात् भारत इग्लैण्ड को खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का निर्यात करता था और उनसे निर्मित वस्तुओं का आयात करता था। निर्मित वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर होने के कारण भारत में औद्योगीकरण प्रगति न कर सका, बल्कि ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं द्वारा भारतीय माल को घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जिसके चलते देशी हस्तशिल्पो को भारी धक्का लगा।

वर्ष 1850 तक की स्थिति यह हो गयी कि ब्रिटेन की आबादी का 1/8 भाग सूती वस्त्रों के निर्माण में लग गया और वह ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 1/2 भाग जुटाने लगा और ब्रिटेन में बने सूती वस्त्रों के एक चौथाई भाग की खपत भारतीय बाजार में होने लगी। 1824 से 1837 के बीच ब्रिटेन में बनी मखमल का भारत को निर्यात 60 लाख गज से बढ़कर 640 लाख गज हो गया, जिसके फलस्वरूप ढाका, जो भारत में मखमल बनाने वाला सबसे बड़ा केन्द्र था, की आबादी डेढ़ लाख से घटकर सिर्फ 20 हजार रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय हथकरघे का उत्पादन, खासतौर से सूती वस्त्रों का उत्पादन ह्रास की स्थिति में रहा जिससे ग्रामीण स्तर पर दस्तकारी और कृषि का संतुलन बिगड़ता गया, जिसने भारतीय ग्रामीण निवासियों की प्रगति को शताब्दियों तक के लिए रोक दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप में बदलाव आना अनिवार्य था। इसलिए, विकास के आरम्भिक चरण में भारत को मशीनरी व अन्य सामान, जिसे देश में उत्पादित करना उस समय संभव नहीं था, का आयात करना पड़ा। ऐसे आयात, जो उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में नई क्षमता

तालिका 8.1: विकास के प्रारम्भिक चरण में भारत के व्यापार शेष की स्थिति (करोड़ रुपये में)

पंचवर्षीय योजना	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
प्रथम योजना (1951 से 1956)	3109	3651	-542
द्वितीय योजना (1956 से 1961)	3063	5402	-2339
तीसरी योजना (1961 से 1966)	3735	6119	-2384
चौथी योजना (1969 से 1974)	9049	9862	-813
पांचवी योजना (1974 से 1978)	17922	20880	-2958
छठी योजना (1980 से 1985)	44834	73415	-28581
सातवीं योजना (1985 से 1990)	86912	125561	-38649

स्रोत—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन-जुलाई, 2004

स्थापित करते हैं या उत्पादक के अन्य क्षेत्रों में क्षमता स्थापित करते है या उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार करते हैं 'विकासात्मक आयात' कहलाते हैं। उदाहरणार्थ—इस्पात संयंत्र, इंजन बनाने के कारखाने, जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किया गया आयात, विकासात्मक आयात कहलाता है। स्वाभाविक ही है कि विकास के आरम्भिक वर्षों में आयात में तीव्र दर से वृद्धि हुई, जिसका परिणाम प्रतिकूल व्यापार शेष के रूप में सामने आया, जिसे तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजना से सातवीं योजना तक की अवधि में निर्यात में वृद्धि होने के साथ-साथ आयात में वृद्धि होती रही। इन आंकड़ों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि देश के बढ़े हुए आयात ने ही निर्यात वृद्धि में सहयोग दिया, भले ही व्यापार शेष के आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं हैं, परन्तु बढ़ते निर्यात के आंकड़े सुखद स्थिति को दर्शाते हैं और एक पक्ष यह भी है कि जिन देशों में अपार विकास की संभावनाएँ होती हैं वे आयात को महत्वपूर्ण मानती हैं, क्योंकि बढ़े हुए आयात भविष्य में निर्यात को बढ़ाने, व्यापार शेष को सकारात्मक करने, चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति को मजबूत करने में सहयोग देते हैं।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उपनिवेशवाद के बाद देश के आयात का बढ़ना स्वाभाविक था, बावजूद इसके, वर्ष 1972-73 एवं 1976-77 की अवधि में भारत का व्यापार शेष सकारात्मक रहा, अर्थात् आयात की तुलना में निर्यात अधिक रहा। यह प्रशंसा योग्य स्थिति है।

तालिका 8.2: 1990-91 के पश्चात् भारत के व्यापार शेष की स्थिति (करोड़ रुपये में)

पंचवर्षीय योजना	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-1997)	431283	488045	-56762
नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	842004	1023817	-181813
दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-2007)	1961641	2693297	-731656
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)	4964153	7880244	-2916091

स्रोत—आर्थिक समीक्षा 2013-14

उपरोक्त तालिका संख्या 2 देश के निर्यात की वृद्धि को दर्शाती है परन्तु आयात वृद्धि दर, निर्यात के सापेक्ष तेजी से बढ़ रही है, जिसने व्यापार शेष को तीव्रता से बढ़ाने का कार्य किया है।

भारत के विदेशी व्यापार की संरचना (Structure of Foreign Trade in India)

विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात के योग की स्थिति को दर्शाता है। भारत के आयात की संरचना और निर्यात की संरचना का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

भारत के आयात की संरचना

भारत की प्रमुख आयातित वस्तुओं को अध्ययन की सुलभता की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

1. स्थूल मात्रा में आयात (Bulk Imports)
2. कम मात्रा में आयात (Non-Bulk Imports)

तालिका 8.3: भारत की प्रमुख आयातित वस्तुओं के वर्ग

आयात	वस्तुओं का वर्गीकरण	शामिल वस्तुएं
1. स्थूल मात्रा मे आयात	(i) पेट्रोलियम उत्पाद	• खनिज तेल
	(ii) उपभोग वस्तुएं	• अनाज, दाले, चीनी, खाद्य तेल आदि
	(iii) अन्य वस्तुएं	• उर्वरक, कागज एवं गत्ता, अलौह धतुएं (सोना, चांदी), खनिज अयस्क, लौह एवं इस्पात।
2. कम मात्रा में आयात	(i) पूंजी वस्तुएं	• मशीनरी, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, परिवहन, उपकरण, प्रोजेक्ट वस्तुएं।
	(ii) निर्यात करने के लिए आयात की गयी वस्तुएं	• हीरे तथा कीमती पत्थर, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, वस्त्र सूत एवं निर्मित वस्तुएं।
	(iii) अन्य वस्तुएं	• प्लास्टिक का सामान, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक उपकरण, कोयला एवं कोक, रसायन

इस तालिका से भारत के आयात की संरचना स्पष्ट होती है। यहाँ इस बात को भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि देश के कुल आयात में स्थूल मात्रा (Bulk Imports) के आयात वस्तुओं का योगदान, कम मात्रा में आयात के सापेक्ष अधिक है।

भारत के निर्यात की संरचना

भारत के निर्यात को मोटे तौर पर चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नवत हैं—

तालिका 8.4: भारत की प्रमुख निर्यातित वस्तुओं के वर्ग

निर्यात का वर्गीकरण	शामिल वस्तुएं
(i) कृषि और सम्बन्धित उत्पाद	काफी, चाय, खल (Oil Cakes), तम्बाकू, काजू, गर्म मसाले, चीनी, कच्ची रूई, चावल, मछली और मछली से बनी वस्तुएं, मांस एवं मांस से निर्मित वस्तुएं, वनस्पति तेल, फल, सब्जियाँ, दालें।
(ii) अयस्क व खनिज	कच्चा मैग्नीज, कच्चा लोहा, और अभ्रक।
(iii) निर्मित वस्तुएं	सूती वस्त्र और सिले सिलाये कपड़े, पटसन की बनी वस्तुएं, चमड़ा और जूते, हस्तशिल्प (जिनमें हीरे और कीमती पत्थर भी शामिल हैं), रसायन, इंजीनियरी वस्तुएं, लौह व इस्पात।
(iv) पेट्रोलियम उत्पाद	खनिज ईंधन, स्नेहक (Lubricants)

उपरोक्त तालिका से भारत के निर्यात की संरचना स्पष्ट होती है। देश द्वारा निर्यातित कुल वस्तुओं में उनके योगदान का क्रम निम्नवत है—

(v) निर्मित वस्तुएं (63 प्रतिशत)
(vi) पेट्रोलियम उत्पाद (20 प्रतिशत)
(vii) कृषि तथा संबंधित वस्तुएं (13 प्रतिशत)
(viii) अयस्क व खनिज (1.8 प्रतिशत)

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization–WTO)

स्थापना— 1 जनवरी, 1995

संगठन का स्वरूप—विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अभिकरण नहीं है।

मुख्यालय—जेनेवा, (स्विट्जरलैंड में)

WTO के उद्देश्य—विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं—

- जीवन स्तर में वृद्धि करना।
- पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मांग में वृहद स्तरीय, परन्तु ठोस वृद्धि करना।
- वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना।

उपरोक्त उद्देश्य गैट के थे, इनके अतिरिक्त WTO की प्रस्तावना में अग्रलिखित अतिरिक्त उद्देश्यों को भी शामिल किया गया है—

- सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना।

ध्यातव्य हो कि

15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मन्त्रियों ने मराकेश में उरूग्वे दौर (1986–94) के फाइनल एक्ट पर हस्ताक्षर किये थे जिसकी परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गयी और इस प्रकार 1947 में स्थापित गैट का स्थान 1 फरवरी 1995 में WTO ने लिया।

- विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।
- सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना।
- पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना।

WTO के सदस्य— 164 (मार्च 2017 तक की स्थिति)

- 164 वाँ सदस्य अफगानिस्तान (29 जुलाई, 2016)
- 163 वाँ सदस्य लाइबेरिया (14 जुलाई, 2016)
- 162 वाँ सदस्य कजाखस्तान (30 नवंबर, 2015)
- 161 वाँ सदस्य सेशेल्स (26 अप्रैल, 2015)
- 160 वाँ सदस्य यमन (26 जून, 2014)

WTO के कार्य—विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है—

- विश्व व्यापार, समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना।
- व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बन्धित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- विवादों के निपटारे से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव (Coherence) लाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना।
- विश्व संसाधनों (World Resources) का अनुकूलतम प्रयोग करना।

WTO से सम्बद्ध समितियां—विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन हेतु कई महत्वपूर्ण समितियां है। परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो समितियां हैं—

(i) विवाद निवारण समिति (Dispute Settlement Body—DSB)
(ii) व्यापार नीति समीक्षा समिति (Trade Policy Review Body—TPRB)

अन्य समितियां:

(i) वस्तु व्यापार परिषद (Council for Trade in Goods)
(ii) सेवा व्यापार परिषद (Council for Trade in Services)
(iii) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर परिषद (Council for Trade Related Aspects to Intellectual Property Rights)

WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन—WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी दो वर्ष में बैठक होनी जरूरी है। यह उन सभी सदस्य देशों को एकजुट करता है, जो सीमा शुल्क जैसे प्रावधानों के कारण अलग-अलग हैं। यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत किसी भी मामले पर फैसले कर सकता है। 1995 में WTO की स्थापना के बाद से मंत्रिस्तर के 10 सम्मेलन हो चुके हैं, जो निम्नवत हैं—

- प्रथम सम्मेलन, 9 से 13 दिसम्बर, 1996 सिंगापुर में।
- आठवां सम्मेलन, 15 से 17 दिसम्बर, 2011 जेनेवा में।
- नौवां सम्मेलन, 3 से 7 दिसम्बर, 2013 बाली, इण्डोनेशिया में।
- दसवां सम्मेलन, 15 से 19 दिसम्बर, 2015 नैरोबी, केन्या में।

WTO के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के महत्वपूर्ण तथ्य—

- WTO के 164 देशों ने दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जो कीनिया की राजधानी नैरोबी में 15 से 18 दिसम्बर, 2015 की समयावधि में सम्पन्न हुआ, में प्रतिभाग किया।
- सम्मेलन में भारतीय शिष्टाचार मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण (वर्तमान में रक्षा मंत्री) ने लिया।
- विकसित देशों के प्रतिरोध के चलते 14 वर्ष से लम्बित दोहा दौर के समझौते पर कोई सहमति इस सम्मेलन में नहीं बन सकी।
- खाद्य सुरक्षा हेतु पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा भी अनसुलझा रहा।
- भारत के दबाव में यह सहमति सदस्य राष्ट्रों में बन गई, जिसके तहत विकासशील देशों को अपने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए 'स्पेशल सेफगार्ड मेकेनिज्म' का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

वर्ष 2015, WTO की स्थापना का 20वाँ वर्ष होने के नाते इस संगठन का यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में नैरोबी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं—

- घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि अंतराष्ट्रीय व्यापार के जरिए ही सतत, सुदृढ एवं सन्तुलित विकास किया जा सकता है।
- संगठन के सदस्य राष्ट्रों में अधिकांशत: विकासशील देश होने के नाते, उनकी आवश्यकताओं व हितों को इस संगठन के केन्द्र में रखने की बात घोषणा पत्र में कही गई है।
- घोषणा पत्र में बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए माराकेश समझौते में स्वीकार किए गए सिद्धान्तों व उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी।
- इस सम्मेलन में 163 वें और 164 वें सदस्य देश के रूप में क्रमश: लाइबेरिया और अफगानिस्तान को WTO की सदस्यता दी गयी।

गैट व विश्व व्यापार संगठन के मध्य अंतर—

- गैट जहाँ अनौपचारिक संगठन था, वहीं WTO एक औपचारिक संगठन है जिसकी अपनी कानूनी हैसियत है जिसका अपना व्यापक प्रशासनिक तंत्र है।
- गैट के फैसले सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते थे, जबकि WTO के फैसले सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- गैट की बैठके अनियमित रूप से होती थीं, जबकि WTO की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।
- गैट और WTO दोनों ही संगठनों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में विद्यमान अवरोधों को दूर करते हुए व्यापारिक उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है जहाँ गैट के दायरे में केवल वस्तुओं का व्यापार आता था, वहीं WTO के दायरे में वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं का व्यापार भी आता है।
- WTO के सदस्य देशों के बीच यदि किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसके निपटारे के लिए 'विवाद निपटारा समिति' (Dispute Settlement Body) का प्रावधान किया गया है, जबकि गैट में ऐसी किसी संस्था का प्रावधान नहीं था।
- WTO का स्वरूप और इसकी कार्यप्रणाली कहीं अधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि यह एक देश एक वोट की संकल्पना पर काम करता है।।
- WTO की स्थापना के साथ ही गैट का अस्तित्व समाप्त हो गया, परन्तु वस्तु व्यापार से सम्बन्धित गैट समझौता संशोधित रूप से अब भी WTO के साथ लागू है। अर्थात् गैट में दो नये संशोधन जोड़कर, उसे ही WTO के रूप में स्थापित किया गया है, गैट में जोड़े गये 2 नये संशोधन हैं—
  (i) सेवाओं का व्यापार
  (ii) ट्रिप्स (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights—TRIPS) ट्रिम्स (Trade Related Investment Measures—TRIMs)

व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार—इसके तहत प्रत्येक सदस्य देशों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट आदि के संरक्षण के लिए उपयुक्त कदम उठाना पड़ता है। इसके तहत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को 'व्यापारिक मूल्य' के साथ सूचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके तहत बौद्धिक सम्पदा के इस्तेमाल के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को स्वामित्व धारक से अनुमति लेनी होगी और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के बदले भुगतान करना होगा।

व्यापार से सम्बन्धित निवेश मानक—इसके तहत किसी भी सदस्य देश को विदेशी निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक खोलना होता है और जिन क्षेत्रों में यह संभव नहीं होता, उसे आंशिक रूप से खोलना होता है। ट्रिम्स का सम्बन्ध कुछ शर्तों या प्रतिबन्धों से है जो कोई भी सदस्य देश अपने देश में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में लगाता है। किसी भी सदस्य देश को WTO के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर ट्रिम्स का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development–UNCTD)

उद्देश्य—विकासशील देशों को उनकी आर्थिक विकास सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था।

स्थापना—1964

मुख्यालय—जेनेवा, स्विटजरलैंड

अंकटाड की सदस्यता व मताधिकार—संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेन्सी के रूप में अंकटाड कार्य कर रहा है, जिसकी सदस्यता पूर्णरूपेण ऐच्छिक है। कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छानुसार अंकटाड की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, अथवा परित्याग कर सकता है। वर्तमान में अंकटाड के 194 देश सदस्य हैं।

अंकटाड की कार्यप्रणाली पूर्णरूपेण प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है। प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है। सामान्य महत्व के विवादों पर केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं, जबकि अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 4 वर्ष के अन्तराल में अंकटाड का अधिवेशन बुलाया जाता है।
- इसका प्रथम सम्मेलन 23 मार्च से 16 जून, 1964 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जबकि 14 वाँ अंकटाड सम्मेलन 17-22 जुलाई, 2016 में नैरोबी कीनिया में आयोजित हुआ।
- अंकटाड के सभी सम्मेलनों में आई.एम.एफ. को स्थायी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसी कारण अंकटाड द्वारा पारित प्रस्तावों को आई.एम.एफ अपनी नीति निर्माण में प्रयुक्त करता है।
- अंकटाड के सुझाव मात्र रचनात्मक होते हैं, जिनका पालन करने के लिए किसी भी राष्ट्र को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund–IMF)

आई.एम.एफ. एक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है। ब्रिटेनवुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसम्बर, 1945 को इसकी स्थापना वाशिंगटन में हुई थी, किन्तु इसने वास्तविक रूप में 1 मार्च, 1947 से कार्य प्रारम्भ किया।

IMF के उद्देश्य

- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलित विकास करना।
- विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना।
- बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबन्धों को समाप्त करना अथवा कम करना।
- सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को ठीक करने के लिए अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- अंतरराष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय असन्तुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना।

मुख्यालय—वाशिंगटन डी.सी. (इसके कार्यालय पेरिस व जेनेवा में भी हैं)

सदस्य संख्या—IMF में 189 सदस्य हैं (189वां सदस्य देश नारू है)

प्रबंध निदेशक—क्रिस्टीना लेगार्ड (फ्रांस की वित्त मंत्री)

IMF का प्रबन्धन—IMF का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है, प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर को मनोनीत करता है, जिन्हें मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन होता है। इस मनोनयन के साथ ही प्रत्येक देश एक वैकल्पिक गवर्नर को भी नियुक्त करता है, जो मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में मतदान करता है।

IMF में मताधिकार—प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त हो, यह उसके देश को प्राप्त कोटे के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक गवर्नर को 250 मत सदस्यता के तथा उसके देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक एक लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्र के मताधिकार को व्यक्त करता है।

विशेष आहरण अधिकार—IMF के संसाधनों में सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों को आबंटित कोटे का है। वर्ष 1971 तक मुद्रा कोष का समस्त कोटा तथा इससे निकाली जाने वाली सहायता राशि को डालर में व्यक्त किया जाता था परन्तु दिसम्बर 1971 से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समस्त लेन-देन विशेष आहरण अधिकार के समान माना गया। 1 जनवरी 1981 से SDR का मूल्य विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं (यूएसए डालर, यूरोजोन की यूरो, जापान की येन, यूके की पाउंड स्टर्लिंग) की बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा।

IMF में SDR के मूल्य निर्धारण हेतु वैश्विक मुद्राओं की बास्केट में चीन की मुद्रा रेनमिम्बी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 1 अक्टूबर 2016 से रेनमिन्बी औपचारिक तौर पर इस बास्केट का हिस्सा हो गई है।

तालिका 8.5: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेन्सीयों का भारांकन

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेन्सी बास्केट	1 अक्टूबर, 2016 से प्रतिशत भारांकन
यूएस डालर	41.73
यूरो	30.93
चीन की रेनमिन्बी	10.92
जापानी येन	8.33
यूके की पाउंड स्टर्लिंग	8.09
कुल	100.00

IMF में देशों के कोटे का फॉर्मूले द्वारा किया जाता है जो निम्नवत हैं—

(i) सदस्य देशों की GDP का औसत भारांश	=	50.00%
(ii) अर्थव्यवस्था का खुलापन	=	30.00%
(iii) आर्थिक परिवर्तनशीलता	=	15.00%
(iv) अंतरराष्ट्रीय रिजर्व	=	5.00%
कुल		100%

नोट: सदस्य देशों की जीडपी के औसत के निर्धारण में 60% भारांश बाज़ार विनिमय दर पर और 40% भारांश क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity) द्वारा किया जाता है।

2 फरवरी, 2017 को सर्वाधिक कोटे वाले 11 देशों के नाम व उनका कोटा प्रतिशत निम्नवत् हैं—1. यू.एस.ए (17.46%) 2. जापान (6.48%) 3. चीन (6.41%) 4. जर्मनी (5.60%) 5. फ्रांस (4.24%) 6. यू.के. (4.24%) 7. इटली (3.17%) 8. भारत (2.76%) 9. रूस (2.71%) 10. कनाडा (2.32%) 11. सऊदी अरब (2.10%)

भारत व आईएमएफ—भारत अभी तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है। अब इसको वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल कर लिया गया है। अर्थात् जो भारत इस अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण लिया करता था, आज वही देश इस बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। मई व जून 2003 में भारत ने दो अलग-अलग किश्तों में कुल मिलाकर 291.70 मिलियन डालर, राशि आई.एम.एफ. के फाइनेंशियन ट्रांजेक्शन प्लान (FTP) में उपलब्ध करायी थी।

FTP में केवल ऐसे देश ही वित्तीय सहयोग कर सकते हैं जिनके स्वयं भुगतान संतुलन (BOP) की स्थिति सुदृढ़ हो और जिनके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा कोष उपलब्ध हो। भारत को FTP सदस्यता हेतु सितम्बर-नवम्बर 2002 को चुन लिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अब भारत पर अपना विश्वास बढ़ रहा है।

नोट: IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को दी जानी वाली सुविधायें और सुविधा के प्रारम्भ होने के वर्ष के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है।

तालिका 8.6: IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को दी जाने वाली सुविधाएं

वर्ष	सुविधा का नाम	उद्देश्य
27 फरवरी 1963	क्षतिपूर्ति वित्तीय सुविधा	भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिये सहायता हेतु स्थापित।
1974 व 1975	अल्पकालिक तेल सुविधा	–
1976	ट्रस्ट फण्ड	–
13 सितम्बर, 1974	विस्तारित फण्ड सुविधा	सदस्य देशों की विशेष भुगतान संतुलन समस्या के लिए मध्यकालीन सहायता हेतु स्थापित।
मार्च, 1986	संरचनात्मक व्यवस्था सुविधा	–

विश्व बैंक (World Bank)

स्थापना—द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को ही असंतुलित कर दिया था बल्कि अनेक राष्ट्रों में जीवन एवं सम्पत्ति को भी अत्यधिक हानि पहुँचाई थी। युद्ध में सक्रिय भाग लेने वाले देशों (जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि) की अर्थव्यवस्था तो बुरी तरह से ध्वस्त हो गयी थी। अत: अंतरराष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था के लिए यह आवश्यक था कि इन युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ-साथ यह भी सोचा गया कि अल्पविकसित देशों को भी पूर्व योजनानुसार विकास किया जाए। इस विचार के फलस्वरूप ही जुलाई 1944 में ब्रिटेनवुड सम्मेलन के तहत पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक/विश्व बैंक की स्थापना दिसम्बर 1945 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ हुई। इसने 25 जून 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।

नोट: विश्व बैंक व IMF एक दूसरे की पूरक संस्था थीं।

मुख्यालय—वाशिंगटन डी. सी.

सदस्य संख्या—189 (सुडान और नारू इसके नवीनतम सदस्य हैं)।

अध्यक्ष—जिम योग किम

महत्वपूर्ण तथ्य—IBRD को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है—

1. IBRD (International Bank for Reconstruction & Development), **स्थापना:** 1944 व **सदस्य:** 189
2. IBA (International Development Association), **स्थापना:** जुलाई, 1960 व **सदस्य:** 184
3. IFC (International Finance Corporation), **स्थापना:** सितम्बर, 1956 (20 जुलाई) व **सदस्य:** 173
4. MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), **स्थापना:** 1988 व **सदस्य:** 181
5. ICSID (International Centre for Settlement Agency), **स्थापना:** अक्टूबर, 1966 व **सदस्य:** 161-कुल हस्ताक्षकरर्ता और अनुंबध राज्य

विश्व बैंक के उद्देश्य—विश्व बैंक की स्थापना के समय सम्पन्न समझौते की धारा प्रथम में इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं—

1. सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुन:निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। विश्व बैंक द्वारा यह पूंजी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है—
   - (i) युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु (यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है)।
   - (ii) शान्तिकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुन: वित्त उपलब्ध कराना।
   - (iii) अल्पविकसित राष्ट्रों में साधनों एवं उत्पादन की सुविधा विकसित करना।

2. भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना, ताकि सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो, फलत: मानव शक्ति की स्थिति एवं जीवन-स्तर और अधिक उन्नत हो सके।
3. सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को निम्नलिखित माध्यमों से प्रोत्साहित करना—
   (i) निजी ऋणों अथवा पूंजी निवेश के लिए गारण्टी प्रदान करना।
   (ii) निजी पूंजी निवेशक को गारण्टी दिए जाने के फलस्वरूप भी यदि निजी पूंजी उपलब्ध न हो पाए तो स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तों पर उत्पादक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
   (iii) लघु एवं वृहत् इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणी के लिए गारंटी देना।
4. लघु एवं वृहत् इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणी के लिए गारंटी देना।
5. युद्ध से जर्जर अर्थव्यवस्थाओं को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू करना।

विश्व बैंक की सदस्यता एवं मताधिकार—सामान्यत: यदि कोई राष्ट्र IMF की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वत: ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है और किसी भी सदस्य देश द्वारा IMF की सदस्यता का परित्याग करने पर उसकी बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है।

नोट: यह भी व्यवस्था है कि कोष के 75% सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य IMF की सदस्यता त्यागने पर भी विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है।

विश्व बैंक के कार्य—वर्तमान में विश्व बैंक का प्रधान कार्य सदस्य राष्ट्रों विशेषकर अल्पविकसित राष्ट्रों के विकास हेतु आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराना। बैंक द्वारा ऋण सामान्यत: दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिये जाते हैं। इनकी अवधि 5 से 20 वर्ष तक की होती है।

विदेशी व्यापार नीति, 2015-20 (Foreign Trade Policy–FTP 2015-20)

विदेशी व्यापार नीति, 2015-20 के प्रमुख बिंदु—

- 1 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने विदेश व्यापार नीति, 2015-20 जारी की।
- इस नई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन करने और प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' विजन को ध्यान में रखते हुए देश मे मूल्यवर्द्धन को नई गति प्रदान करने की रूपरेखा का जिक्र किया गया है।
- नई नीति में विनिर्माण एवं सेवा दोनों ही क्षेत्रों को समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- साथ ही इस व्यापार नीति में कारोबार करने को आसान बनाने पर बल दिया गया है।
- नई एफटीपी (FTP) का एक प्रमुख उददेश्य सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे 'कागज रहित कामकाज' की तरफ कदम बढ़ाना है।
- इस नई विदेश व्यापार नीति में पहले से लागू कई योजनाओं के स्थान पर दो नई योजनाओं—'भारत से वस्तु निर्यात योजना' (एमईआईएस-MEIS) और 'भारत से सेवा निर्यात योजना' (एसईआईएस—SEIS) की शुरूआत की गई है।
- एमईआईएस योजना का उददेश्य विशेष बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना है, जबकि एसईआईएस योजना का उददेश्य अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है।
- एमईआईएस के तहत पांच विभिन्न योजनाओं (फोकस उत्पाद योजना, बाजार लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार योजना, कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन पावती-पत्र (Script), वीकेजीजेवाई-VKGJYE) का विलय करके एक नई योजना शुरू की गयी है।
- भारत से 'भारत सरकार से सेवा' को प्रस्थापित करके भारतीय सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) आरंभ की गई है।
- एसईआईएस 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' के स्थान पर भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं पर लागू होगी।
- इन योजनाओं (एमईआईएस और एसईआईएस) के तहत जारी की जाने वाली किसी भी स्क्रिप (पावती पत्र) के लिए कोई शर्त नहीं रखी गयी है।
- इन दोनों योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट और इन स्क्रिप्ट के एवज मे आयात की जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से हस्तांतरण योग्य हैं।
- एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन/पुरस्कार देने के लिए देशों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके तहत प्रोत्साहन/पुरस्कार की दरें 2 से लेकर 5 फीसदी तक हैं।
- एसईआईएस के तहत चुनिंदा सेवाओं को 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर पर पुरस्कृत/प्रोत्साहित किया जाएगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अब एसईजेड मे स्थित इकाईयों को उपर्युक्त दोनों प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं (एमईआईएस एवं एसईआईएस) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
- ऐसे विनिर्माता जो दर्जा धारक (Status holders) भी हैं, वे अब से अपने निर्मित उत्पादों को इस बात के लिए चरणबद्ध ढंग से खुद प्रमाणित कर सकेंगे कि वे मूल रूप से भारत के ही हैं। इससे द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में वरीयता पाने मे मदद मिलेगी। साथ ही इस 'मंजूर निर्यात प्रणाली' (Approved Exporter System) से इन निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में आसानी होगी।
- ईपीसीजी योजना के तहत स्वदेशी निर्माताओं से ही पूंजीगत सामान खरीदने के उपाय किए गए हैं। इसके तहत विशेष निर्यात प्रतिबद्धता

को 90 प्रतिशत से घटाकर सामान्य निर्यात प्रतिबद्धता के 75 फीसदी के स्तर पर ला दिया गया है। इससे घरेलू पूंजीगत सामान निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

- इस तरह के लचीलेपन से निर्यातकों को स्थानीय एवं वैश्विक दोनों ही तरह की खपत के लिए अपनी उत्पादक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- रक्षा एवं हाई-टेक उत्पादों के निर्यात को नई गति प्रदान करने के भी उपाय किए गए हैं।
- साथ ही हथकरघा उत्पादों एवं किताबों, चमड़े के जूते-चप्पल और खिलौनों के ई-कॉमर्स निर्यात को भी एमईआईएस का लाभ (25 हजार रूपये तक मूल्य के लिए) दिया जाएगा।
- शत-प्रतिशत ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटड यूनिटस/ईएचटीपी (इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स)/एसटीपीआई (साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया)/बीटीपी (बिजनेस ट्रांसऐक्शन प्रोटोकाल योजनाओं के तहत निर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा) के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इन इकाईयों के लिए 'त्वरित मंजूरी सुविधा' भी इन अनेक कदमों मे शामिल है। इसके अलावा ये इकाईयां अपनी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को भी साझा कर सकेगी।
- दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए एससीओएमईटी निर्यात प्राधिकरण की वैधता वर्तमान 12 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई।
- निर्माण क्षेत्र एवं रोजगार सृजन मे छोटे एवं मझौले उपक्रमों की विशेष अहमियत को ध्यान में रखते हुए 108 'एमएसएमई' (MSME) की पहचान की गई है ताकि निर्यात को नई गति प्रदान की जा सके।
- नई विदेश व्यापार नीति में 'दर्जा प्राप्त' (Status Holders) नामक व्यापारिक लीडर्स को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार अब व्यापारिक लीडर्स, जिन्होने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सफलतापूर्वक योगदान दिया है, को 'दर्जा प्राप्त' के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।
- ऐसे व्यापारियो को उनके व्यापारिक लेन-देन की लागत और समय को घटाने के लिए उनके साथ विशेष व्यवहार और उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात गृह, स्टार निर्यात गृह, व्यापार गृह, स्टार व्यापार गृह, प्रीमियर व्यापार गृह, प्रमाण पत्र को परिवर्तित करके क्रमशः एक, दो, तीन, चार, पांच, स्टार निर्यात गृह कर दिया गया है।

फेरा व फेमा (FERA and FEMA)

अत्यधिक कठोर कहे जाने वाले विदेशी मुद्रा नियमन कानून, जो विदेशी विनियम अधिनियम-1973 (FERA-1973) अब बीते दिनों की बात हो गयी है। 31 मई, 2002 से इस अधिनियम का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया तथा इसके तहत किसी के भी विरूद्ध मुकदमा अब नहीं चलाया जा सकेगा। किन्तु फेरा के तहत लम्बित मामलों की जांच तथा मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 'सनसेट क्लॉज' (Senset Clause) के तहत 2 वर्ष का समय प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया था। इस प्रावधान के चलते 31 मई, 2002 तक जिन मामलों में मुकदमे की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी, उन्हें समाप्त माना जाएगा।

विदेशी मुद्रा बाजार में लेन-देन को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000 में 27 वर्ष पुराने वर्ष 1973 से प्रभावी विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act—FERA) के स्थान पर 11 जून, 2000 से एक नया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act—FEMA)-1999 फेमा विधेयक लागू कर दिया 'फेमा' पूर्ववर्ती 'फेरा' की तुलना में अति उदार अधिनियम है। कठोर प्रावधानों वाले फेरा (FERA) को वर्ष 1973 में ऐसे समय में लागू किया गया था, जबकि देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी थी। नए फेमा (FEMA) कानून में सबसे बड़ा उदारीकरण यह किया गया है कि अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं को अब केवल मौद्रिक दंड का ही भुगतान करना होगा, जो संबंद्व राशि का अधिकतम तीन गुना तक होगा। पूर्ववर्ती 'फेरा' के तहत यह दण्ड पाँच गुना तक था तथा साथ-ही-साथ कारावास के दण्ड का भी उसमें प्रावधान था। 'फेमा' के तहत दंडित उल्लंघनकर्ता यदि अर्थ दण्ड चुकाने में असफल रहते हैं केवल उसी स्थिति में ही जेल होगी तथा उनकी स्थिति 'सिविल अपराधी' की होगी जिन्हें अपने जेल प्रवास का खर्च स्वयं वहन करना होगा।

फेरा तथा फेमा में मुख्य अन्तर

- फेरा (FERA)-1973 कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्राओं का संरक्षण करना था वहीं फेमा (FEMA)-1999 का उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित रख-रखाव को बढ़ावा देना है।
- भारत में विदेशी निवेश तथा विदेशों में भारतीय निवेश सम्बन्धी नियम 'फेरा' की तुलना में 'फेमा' अधिक उदार एवं पारदर्शी है।
- भारत में रह चुका कोई व्यक्ति भारत के बाहर का निवासी हो जाने पर भी उन शेयरों, प्रतिभूतियों एवं सम्पत्तियों को धारण कर सकेगा जो उसने भारत प्रवास के दौरान धारण की थीं।
- विदेशी यात्राओं व अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्राओं के आहरण की सीमाएं फेरा की तुलना में फेमा में काफी अधिक निर्धारित की गयी है।
- फेमा के उल्लंघन के मामलों को निपटान सिविल अपराधों के तरीके से किया जाएगा, अर्थात इसके उल्लंघनकर्त्ताओं को जेल की सजा नहीं, बल्कि केवल अर्थदंड ही वहन करना होगा।
- 'फेरा' उल्लघंन के मामले में दंड की राशि जहां सम्बद्ध राशि के पांच गुना तक हो सकती थी, वहीं नए 'फेमा' के तहत यह अधिकतम तीन गुना ही होगी।
- 'फेरा (FERA) के तहत दोष सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त का होता था, जबकि 'फेमा' (FEMA) के तहत यह दायित्व प्रवर्तन एजेंसी का होगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment and Foreign Institutional Investment)

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) का मतलब है-विदेशी निवेशकों की ओर से किसी अन्य अर्थव्यवस्था में लगायी गयी पूंजी। इस निवेश का सीधा उद्देश्य लगायी गयी पूंजी पर लाभ हासिल करना होता है। इसे सीधे तौर पर ऐसे समझा जा सकता है कि जब एक देश की कोई कम्पनी (या कोई इकाई) दूसरे देश की किसी कंपनी या इकाई में पूंजी निवेश करती है तो उसे एफडीआई कहते हैं।
- यह अप्रत्यक्ष निवेश से अलग है यानी इसमें पोर्टफोलिओ निवेश को शामिल नहीं किया जाता। अगर एक देश का कोई संस्थागत निवेशक शेयर बाजार के माध्यम से दूसरे देश की कंपनी के शेयरों में निवेश करे तो इसे एफडीआई नहीं कहा जाता ऐसे निवेश को हम संस्थागत विदेशी निवेश या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
- ऑर्गिनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के मानकों के मुताबिक 10 प्रतिशत से ज्यादा इक्विटी के निवेश को ही एफडीआई माना जाता है, जबकि इससे कम निवेश को पोर्टफोलिओ निवेश या एफआईआई में गिना जाता है।
- एक देश की कंपनी दूसरे देश में कई तरीकों से एफडीआई कर सकती है। वह दूसरे देश में या तो खुद अपनी एक सहायक कंपनी खोल सकती है और उसके माध्यम से पूंजी लगा सकती है या उस देश की किसी अन्य कंपनी की इक्विटी में निवेश कर सकती है। अन्य कंपनी में यह निवेश विलय या सीधे उद्यम के रूप में हो सकता है।

FDI और FIIs के मध्य अन्तर

- एफडीआई और पोर्टफोलिओ निवेश में एक मुख्य अंतर निवेश की अवधि का है। सामान्य तौर पर एफडीआई काफी लंबी अवधि को ध्यान में रख कर किया जाता है क्योंकि इसके जरिए कोई कंपनी दूसरे देश में अपना उद्यम लगाती है या किसी उद्यम में साझेदार बनती है। वहीं पोर्टफोलिओ निवेश में वांछित लाभ मिलते ही निवेशक अपना पैसा वापस निकालने की इच्छा रखता है। इसलिए पोर्टफोलिओ निवेश लंबी अवधि का हो, यह आवश्यक नहीं है।
- एफडीआई और पोर्टफोलिओ निवेश में दूसरा मुख्य अंतर कारोबार के प्रबंधन पर नियंत्रण को लेकर है। सामान्य रूप से एफडीआई के जरिए विदेशी निवेशक उस कंपनी के प्रबंधन पर पूरा या आंशिक नियंत्रण हासिल करता है और इस तरह कारोबार चलाने में भूमिका निभाता है। लेकिन पोर्टफोलिओ निवेशक का उस कारोबार के प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं होता।
- एफडीआई के जरिए केवल विदेशी पूंजी ही नहीं आती, बल्कि कई अन्य चीजें साथ-साथ आ सकती हैं। एक विदेशी निवेशक अपनी पूंजी के साथ-साथ तकनीक और ज्ञान भी लाता है। उत्पादों के डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे पहलुओं में विदेशी निवेशक योगदान कर सकता है और उस नए उद्यम को अपनी वैश्विक उत्पाद शृंखला से जोड़ने और विदेशी बाजार तक ले जाने जैसे फायदे पहुँचा सकता है। एफडीआई आकर्षित करने वाले देश के उपभोक्ता को भी उक्त उत्पादों के ज्यादा विकल्प मिलते हैं। भारत में वाहन (ऑटो) क्षेत्र की क्रांति एफडीआई निवेश के फायदों का एक बेहतरीन उदाहरण है।
- अंकाटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट-2014 के अनुसार बीते वर्ष 2013 में भारत में आने वाला एफडीआई 28.20 अरब डॉलर का रहा है। इससे पहले वर्ष 2012 में यह 24.20 अरब डॉलर, वर्ष 2011 में 36.19 अरब डॉलर और वर्ष 2010 में 27.43 अरब डॉलर था। यानी बीते वर्षों के दौरान इसमें उतार चढ़ाव आता रहा है। दूसरी ओर भारत से अन्य देशों को जाने वाला एफडीआई पिछले कुछ वर्षों में तेज था, मगर बीते साल इसमें काफी कमी आयी है। भारत से अन्य देशों को एफडीआई वर्ष 2010 में 15.93 अरब डॉलर, 2011 में 12.46 अरब डॉलर और 2012 में 8.49 अरब डॉलर था, लेकिन 2013 में यह घटकर केवल 1.68 अरब डॉलर रह गया था।

तालिका 8.7: विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थायें एक दृष्टि में

संस्थान/अधिनियम का नाम	स्थापना वर्ष	स्थापना का उद्देश्य/कार्य
EXIM Bank	1 जनवरी, 1982	निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता देना।
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र Export Processing Zone (EPZ)	1965 कांडला (गुजरात)	देश के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से देश का प्रथम EPZ कांडला गुजरात में 1965 में स्थापित किया गया।
विशेष आर्थिक क्षेत्र Special Economic Zone (SEZ)	संसद द्वारा 2005 में पारित	10 फरवरी, 2006 में लागू। देश में निर्यात, रोजगार, निवेश, आधारभूत संरचना, विदेशी मुद्रा भंडार, विकास दर, आदि में वृद्धि करने के उद्देश्य से। 1 अप्रैल 2000 में घोषित जोकि 10 फरवरी 2000 में लागू किया गया।

(Continued)

तालिका 8.7: विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थायें एक दृष्टि में *(Continued)*

संस्थान/अधिनियम का नाम	स्थापना वर्ष	स्थापना का उद्देश्य/कार्य
निर्यात ऋण गरंटी निगम Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC)	1975	परियोजनाओं एवं सेवाओं के निर्यात से सम्बन्धित साख के जोखिम को कवर करना।
भारतीय डिमांड संस्थान (IDI)	1978 सूरत (गुजरात)	रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित कर, इस उद्योग के लिये प्रशिक्षित कारीगरों की उपलब्धता बढ़ाना।
व्यापार मंडल Board of Trade (BT)	5 मई, 1989 (1 अप्रैल 2005 में बोर्ड का पुनर्गठन)	वर्तमान कार्य- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाले आर्थिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य मे निर्यात प्रोत्साहन के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन सम्बन्धी नीतिगत उपायों के बारे में सरकार को सलाह देना, निर्यात उपलब्ध्यिों की समीक्षा करना, आयात में कमी और निर्यात के विस्तार हेतु सुझाव देना। ***नोट***—वर्तमान में बोर्ड के अध्यक्ष- कुमार मंगलम बिड़ला है।
एंटी डंपिग और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय DGAD	अप्रैल, 1998	अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार एंटी डंपिग शुल्क चिह्नित वस्तुओं पर लगाने की सिफारिश करना।
एशियाई विकास बैंक Asian Development Bank (ADB)	दिसंबर, 1966 (कार्य प्रारंभ-1 जनवरी 1967)	एशियाई देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित। मुख्यालय-मनीला (फिलीपीन्स)। भारत इसके संस्थापक देशों में एक है।
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ International Development Association (IDA)	24 सितंबर, 1960	विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात 'Soft Loan Window' भी कहते हैं। ***नोट***—IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नही देना पड़ता तथा यह ऋण विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराये जाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम International Finance Corporation (IFC)	जुलाई, 1956	विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था है। इसका प्रमुख कार्य विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारन्टी के धन की व्यवस्था करना है।
वर्ल्ड बैंक World Bank (WB) (कार्य प्रारंभ-जून 1946)	दिसंबर, 1944	द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुर्ननिर्माण एवं विकास हेतु स्थापित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (कार्य प्रारंभ-1 मार्च 1947)	जुलाई, 1945	सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में आये संकट को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित। ***नोट***—IMF और WB की स्थापना ब्रिटनवुड सम्मेलन में हुई। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को 'जुड़वा बहनें' कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय-वाशिंगटन डीसी मे है।
ब्रिक्स (BRICS) देशों का (New Development Bank) मुख्यालय-शंघाई (चीन) क्षेत्रीय कार्यालय-द.अफ्रीका	जून, 2006	BRICS देशों की छठी बैठक 14-16 जुलाई 2014 के मध्य फोर्टालेजा एवं ब्रासीलिया नगर (ब्राजील) में सम्पन्न हुई और इस सम्मेलन में इस नये बैंक के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। **प्रमुख कार्य**—ब्रिक्स देशों एवं अन्य उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आधारभूत संरचना एवं सतत विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिए वित्त का प्रबंध करना। **प्रबन्धन**—बैंक में एक गवर्नरों का बोर्ड, एक निदेशक बोर्ड, एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा।

(Continued)

संस्थान/अधिनियम का नाम	स्थापना वर्ष	स्थापना का उद्देश्य/कार्य
		बैंक का अध्यक्ष सदस्य देशों से ही बारी-बारी से चुना जायेगा (पहला अध्यक्ष भारत से होगा) **पूंजी**—कुल प्राधिकृत पूँजी 100 बिलियन अमेरिकी डालर की है जिससे सभी देशों का समान शेयर 10-10 अरब डालर था एवं प्रारंभिक Subscribed Capital 50 बिलियन अमेरिकी डालर है। इसके अतिरिक्त बैंक से सम्बद्ध 100 अरब डालर की आपात आरक्षित विदेशी विनिमय व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement) की गई है जिससे सदस्य देशों को अल्पकालिक नकदी दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। इसमें सर्वाधिक 41 अरब डालर का योगदान चीन ने, भारत, ब्राजील व रूस ने 18-18-18 अरब डालर का योगदान किया है और 5 अरब डालर का योगदान द. अफ्रीका ने किया है।
एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इनेवस्टमेंट बैंक Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) मुख्यालय—बीजिंग (चीन) संस्थपाक सदस्य—86 (भारत शामिल है) कार्य प्रारंभ—जनवरी 2016 से Authorized Capital—100 अरब डालर Subscribed Capital—50 अरब डालर	25 दिसम्बर, 2015, (औपचारिक स्थापना)	ब्रिटन वुड्स संस्थाओं (IMF, WB) पर निर्भरता कम करना एवं एशियाई देशों के विकास के लिए पर्याप्त वित्त का प्रबंधन हेतु स्थापित। **प्रमुख कार्य**—एशियाई देशों में परिवहन, बांध, बंदरगाह, सड़क, स्वास्थ्य जैसे आधारभूत क्षेत्रों के विकास हेतु सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। **सदस्य देशों के नाम**—भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रुनेई, कम्बोडिया, लाओस, कुवैत, मंगोलिया, म्यांमार, कतर, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ओमान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान

अध्याय सार संग्रह

- भारत के निर्यात की शीर्ष मदें-पेट्रोलियम, कच्चा तेल व तेल उत्पाद, जवाहरात, आभूषण, वस्त्र, संबद्ध उत्पाद, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद आदि हैं।
- भारत के आयात की शीर्ष मदें-1. पेट्रोलियम, कच्चा तेल और तेल उत्पाद। 2. सोना, चांदी, मोती, बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य रत्न। 3. रसायन तथा संबद्ध उत्पाद, जिसमें उर्वरक शामिल है। 4. इलेक्ट्रानिक वस्तुएं। 5. मशीनरी आदि हैं।
- भुगतान संतुलन के अन्तर्गत अपने वाले कुल खाते हैं—1. चालू खाता, 2. पूंजीगत खाता।

  नोट—लेन-देन का खाता (सरकारी) एवं सरकारी परिसम्पत्तियों का खाता भी भुगतान संतुलन में शामिल किये जाते है।
- भुगतान संतुलन से ज्ञात होने वाली स्थितियाँ हैं—1. किसी देश के व्यापार की शुद्ध स्थिति। 2. ऋण लेन-देन की शुद्ध स्थिति एवं 3. सरकारी आरक्षित निधि में परिर्वतन की स्थिति।
- भुगतान संतुलन की सबसे बड़ी प्रविष्टि व्यापार संतुलन/व्यापार शेष है।
- भुगतान संतुलन का रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता खाता 19 अगस्त 1994 को भारतीय मुद्रा 'रूपया' को भुगतान संतुलन के चालू खाते (Current A/C) के लेन-देन के लिए पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया।
- भुगतान संतुलन की अनूकूलता और प्रतिकूलता की स्थिति के निर्णय का आधार देश के भुगतान संतुलन के चालू खाते की प्राप्तियाँ और देयताओं के योग के आधार पर हैं।
- चालू खाते की अदृश्य मदों में शामिल मदे हैं—1. ब्याज, 2. लाभांश भुगतान, 3. उपहार अर्थात् समस्त सेवायें, जिनका आयात-निर्यात दृष्टिगोचर नहीं होता।
- चालू खाते के दृश्यात्मक मदों में शामिल मदे हैं—इसमें समस्त प्रकार की भौतिक वस्तुएं, जिनका आयात-निर्यात होता है, शामिल किया जाता है।

- अर्थवयवस्था की सुदृढ़ता चालू खाते के संतुलन को देखकर मापी जा सकती है।
- फोकस मार्केट योजना अप्रैल, 2006 में प्रारम्भ की गयी।
- विनिमय दर प्रबन्ध की दोहरी विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च, 1992 से प्रारम्भ की।
- भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता (चालू खाते के घाटे को) सुधारने का उपाय है—1. आयात प्रतिस्थापन की नीति लागू करना। 2. गैर-पारम्परिक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन। 3. लागत ढांचे को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप बनाना। 4. घरेलू उद्योगों की कार्यक्षमता में वृद्धि जिससे उत्पादन लागत कम हो सके। 5. उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक का प्रयोग। 6. घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के समरूप बनाये रखना। 7. मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के माध्यम से स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण। 8. सुविचारित विनियम दर नीति (जिसमें अवमूल्यन भी शामिल है) लागू करना। 9. अदृश्य मदों से आय को बढ़ाना जैसे पर्यटन, बीपीओ, केपीओ सेवाओं के स्तर में सुधार कर सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। 10. रूपये को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना।
- पूंजी खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ—पूंजी के अन्तर्प्रवाह एवं बहिप्रर्वाह में किसी मुद्रा को 'बाजार की दर' पर दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना है।
- देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (Export Promotion Industrial Park) (EPIP) मार्च 1997 में जयपुर के निकट सीतापुर में स्थापित किया गया।
- उ.प्र. सरकार का पहला EPIP नोएडा के कासना में है।